नागरिक चार्टर
2023-24

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003
http:// depwd.gov.in

1. परिचय

दिव्यांगता संबंधी मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, नीतिगत मामले पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 12.05.2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके नि:शक्तजन कार्य विभाग के रूप में बनाया गया था। 8 दिसंबर, 2014 को विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। विभाग दिव्यांगजनों और दिव्यांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स): संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, एनजीओ इत्यादि के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना शामिल है।

2. विज़न और मिशन

विज़न: एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करके उनकी वृद्धि और विकास किया जाएं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मिशन: दिव्यांगजनों को पुनर्वास के लिए अपने विभिन्न अधिनियमों/नीतियों/संस्थानों/संगठनों/कार्यक्रमों/ योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाना और एक ऐसे अनुकूल और सुगम्य वातावरण का सृजन करना जो ऐसे व्यक्तियों को समान अवसरों का लाभ प्राप्त करने, दूसरों के समान अपने अधिकारों का लाभ उठाने और समाज के स्वतंत्र और उपयोगी सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

विजन को साकार करने और मिशन को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियाँ:

- शारीरिक, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सहित पुनर्वास के उपाय;
- पुनर्वास पेशेवरों/कर्मियों का विकास करना;
- आंतरिक दक्षता / जवाबदेही / सेवा प्रदान करने में सुधार; और
- विभिन्न सेवाओं/लेनदेन स्तरों पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन करना।

3. मुख्य सेवाएं/लेनदेन

विभाग की सभी योजनाएं/कार्यक्रम निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं:

क्र.सं.	वह एजेंसी जिसे मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी की जाती हैं
1.	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां
2.	विभाग के केंद्रीय स्वायत्त संस्थान (जैसे राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम आदि)
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), विश्वविद्यालयों, शिक्षा में उत्कृष्टता के संस्थानों, आदि जैसी अन्य एजेंसियां।
4.	गैर सरकारी संगठन

4. सेवा/ लेनदेन

4.1 सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना :

एडिप योजना 1981 से परिचालन में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद में सहायता करना है। सहायता अनुदान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से जारी किया जाता है। कृपया सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के विवरण के लिए विभाग की वेबसाइट depwd.gov.in पर योजना के दिशानिर्देश देखें।

4.2 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) :

डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना) विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके अनुकूल, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोरोग या सामाजिक-कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है। यह योजना 1999 से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (पूर्ववर्ती नि:शक्तजन अधिनियम, 1995) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सहायता अनुदान उन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को प्रदान किया जाता है जो एनजीओ-दर्पण के साथ पंजीकृत हैं और जिन्होंने नीति आयोग की विशिष्ट आईडी प्राप्त की है। सहायता अनुदान और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट depwd.gov.in पर योजना के दिशानिर्देश देखें।

4.3 दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) :

इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं को अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। गैर-आवर्ती सहायता अनुदान मुख्य रूप से मौजूदा सरकारी भवनों में लिफ्टों, रैंप, शौचालयों के सुधार, सुगम्य फर्श, हैंड रेल आदि के निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त बनाया जा सके। केन्द्रीय/राज्य/जिला स्तर के कार्यालयों की वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने के लिए सहायता अनुदान भी जारी किया जाता है। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें सिपडा योजना की जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी सिफारिशों पर आगे प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है। सहायता-अनुदान और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट depwd.gov.in पर योजना दिशानिर्देश देखें।

4.4 राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी :

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में मानव संसाधन विकास में वृद्धि, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और दिव्यांगजनों में अनुसंधान और विकास करने के लिए संबंधित एनआई के विस्तार/आउटरीच केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले नौ राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) (मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय) और संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) को अनुदान जारी करना।

4.5 दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (एस.डब्ल्यू.डी) :

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) निम्नलिखित छ: घटकों के साथ दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (दिव्यांग) 'एक व्यापक (अम्ब्रेला) योजना लागू कर रहा है' ताकि दिव्यांग छात्रों को स्कूल स्तर से डॉक्टरेट स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ताकि उन्हें अपनी आजीविका कमाने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

(i) दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (IX और X कक्षा के छात्रों के लिए)

(ii) दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (**XI, XII,** पोस्ट-मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा / प्रमाण पत्र**,** भारत में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा**,** यूजीसी / एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री / डिप्लोमा)

(iii) दिव्यांग छात्रों की उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए)

(v) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप छात्रवृत्ति (भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम.फिल/पीएचडी के लिए)

(vi) दिव्यांग छात्रों की नि:शुल्क कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति (सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए)

4.6 राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) के तहत दिव्यांगजनों का कौशल विकास

"दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)" मार्च**, 2015** में शुरू की गई थी। एनएपी को अम्ब्रेला योजना – "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)" के तहत लागू किया जाता है। एनएपी के तहत, प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के रूप में विभाग के साथ पैनलबद्ध सरकारी संगठनों (जीओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

4.7 ब्रेल प्रेस को वित्तीय सहायता के लिए परियोजना (ब्रेल प्रेस परियोजना)

संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसरण में, "ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि" के लिए सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी ताकि भारत में कक्षा I से XIII तक के स्कूल जाने वाले दृष्टिबाधित बच्चों को नि:शुल्क ब्रेल पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान की जा सके।

योजना के उद्देश्य: राज्य में नए ब्रेल प्रेस स्थापित करने के लिए जहां मजबूत संगठन पहले से मौजूद हैं; (ii) संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे स्तर के ब्रेल प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना करना और पारंपरिक और निम्न गति से मुद्रण करने वाली पुरानी ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण करना।

4.8 कर मुक्त विदेशी उपहार / सामग्री प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका** के द्विपक्षीय समझौते।

द्विपक्षीय समझौतों में यह प्रावधान किया गया है कि प्राप्त माल कृषि विकास, पुनर्वास, स्वास्थ्य उद्देश्यों (दिव्यांगजनों के लिए, शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य राहत सामग्री के लिए, रेड क्रॉस और सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों जैसी गैर-लाभकारी स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से दान में मिले सामान सहित) के लिए होना चाहिए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण के लिए नोडल मंत्रालय है जो उन्हें (स्वैच्छिक संगठनों को) धर्म, जाति, पंथ, रंग, नस्ल या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरण के लिए आयात किये गए सामान पर शुल्क में छूट का लाभ उठाने में सक्षम बनता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी एलिम्को है।

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने और उन्हें विशिष्ट आईडी कार्ड जारी करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान यूडीआईडी परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर मई 2016 से एनआईसी क्लाउड पर पहले ही विकसित और होस्ट किया जा चुका है।

यूडीआईडी परियोजना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती है। यूडीआईडी परियोजना यह सुनिश्चित करती है कि सभी दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यह बाद में ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर से कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तरों पर लाभ वितरण की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पता लगाने में मदद करेगा। यह पारदर्शिता, दक्षता और दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने में आसानी को भी प्रोत्साहित करेगा।

5. संपर्क व्यक्ति

क्र.सं.	**नाम और पदनाम**	**ईमेल**	**फोन नं.**
1.	**एडिप योजना** - श्री अनिल कुमार पांडे, उप सचिव	ak.pandey66@nic.in	011-24369045
2.	**डीडीआरएस** - डॉ. होन्नारेड्डी एन. (निदेशक)	honnareddy.n@gov.in	011-24365027
3.	**सिपडा योजना** - डॉ. होन्नारेड्डी एन. (निदेशक)	honnareddy.n@gov.in	011-24365027
4.	**राष्ट्रीय संस्थान** - श्री विनीत सिंहल, निदेशक श्री अनुपम शुक्ला, अवर सचिव	vineet.singhal17@gov.in anupam.shukla@nic.in	011-24364391
5.	**छात्रवृत्ति योजनाएं**- श्री प्रदीप ए - उप सचिव	pradeep.anirudhan@gov.in	011-26100159
6.	**दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास** श्री एस. के. महतो, उप सचिव	sk.mahto@nic.in	011-24362127
7.	**ब्रेल प्रेस की स्थापना, आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि** - श्री एस. के. महतो, उप सचिव	sk.mahto@nic.in	011-24362127
8.	**विदेशी उपहार/माल की आपूर्ति पर द्विपक्षीय समझौते -** श्री एस. के. महतो, उप सचिव	sk.mahto@nic.in	011-24362127
9.	**यूडीआईडी परियोजना** श्री विनीत सिंहल**,** निदेशक	vineet.singhal17@gov.in	011-24364391
10.	**अनुसंधान एवं विकास** सुश्री इपसिता मित्रा, उप सचिव	mitra.ipsita@nic.in	011-24369066

6. **नागरिक चार्टर के लिए नोडल अधिकारी**

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	लैंडलाइन नंबर	ई मेल
1.	श्री सुरेश चन्द्रा टमटा, उप सचिव	011-24361379	sc.tamta@nic.in

7. लोक शिकायत निवारण तंत्र
(शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट http://pgportal.gov.in)

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	लैंडलाइन नंबर	ई मेल
1.	श्री निठाली राम, उप सचिव	011-24365053	nithali.ram@nic.in

8. आरटीआई के लिए नोडल अधिकारी

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	लैंडलाइन नंबर	ई मेल
1.	श्री अरुण कुमार मंडल, अवर सचिव	011-24369046	arunkumar.mandal@gov.in

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के लिए कृपया depwd.gov.in /content/page//faq.php पर देखें**:-**

हितधारकों/ क्लाइंट की सूची

(2023-24)

क्र.सं.	**हितधारकों/क्लाइंट का विवरण**
1	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
2	साझा हितों के क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग
3	शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वायत्त संगठन जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्कृष्ट संस्थान आदि
4	विभाग को आवंटित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन
5	विभाग के विषय क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षाविद
6	विभाग के लक्षित समूहों का संघ

वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

क्र.सं.	**जिम्मेदारी: केंद्र और अधीनस्थ निगम**	**पता**	**वेबसाइट और संपर्क विवरण**
सांविधिक निकाय/निगम/गैर-सांविधिक स्वायत्त निकाय			
1.	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)	बी -22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110001	www.rehabcouncil.nic.in msrci-msje@nic.in दूरभाष : 26537381
2.	मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी)	5 वीं मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) बिल्डिंग, प्लॉट नंबर जी -2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075	ccpd@nic.in दूरभाष;20892364,20892275
3	ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास (राष्ट्रीय न्यास)	छठी मंजिल, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) बिल्डिंग, प्लॉट नंबर जी -2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075।	www.thenationaltrust.gov.incontactus@nationaltrust.in दूरभाष : 20897959

4	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	जी.टी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208016	http://www.artlimbs.comcmdalimco@artlimbs.com 0512-2770614
5	नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी)	एनडीएफडीसी, यूनिट नंबर 11 और 12, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज- I, तहखंड गांव के पास, नई दिल्ली- 110020।	http://www.nhfdc.orgnhfdc97@gmail.com (011)45803730,45088637 45088638
6	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	4, विष्णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली -110002	http://www.iphnewdelhi.inwww.iphdelhi.in 011-23232403
7	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर)	पी.ओ. बैरोई, जिला कटक, उड़ीसा-754010	0671-2805552,2805856 http://nirtar.nic.in,nirtar@ori.nic.in
8	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएएलडी), कोलकाता	बीटी रोड, बॉन-हुगली, कोलकाता 700090 पश्चिम बंगाल	http://www.nioh.in,director@nioh.in/ mail@nioh.in 033-25311248,25310789
9	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	116 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल-248001	http://www.nivh.org.in anuradhamohit@gmail.com0135- 2744491
10	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	केसी मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050 महाराष्ट्र	http://ayjnihh.nic.in, ayjnihhmum@gmail.com022- 26422638
11	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500009 तेलंगाना	http://www.nimhindia.orgdirector.nimh@gmail.com040-27759267
12	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी)	ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुकाडु, कोवलम पोस्ट, तमिलनाडु-603112	http://niepmd.in.nic.inniepmd@gmail.com 044-274721404
13	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली	मॉड्यूल नंबर 403-405, चौथी मंजिल, एनएसआईसी बिजनेस पार्क, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नई दिल्ली।	islrtcnewdelhi@gmail.com011-26387558,011-26387559
14	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, भोपाल	पुराना जिला पंचायत भवन, लुनिया चौराहा, मंडी रोड, सीहोर, मध्य प्रदेश 466001	0756-2223960 https://nimhr.ac.in Email:dv.registrar@nimhr.ac.in

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षा

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षा
1	निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा, यदि कोई है, में सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण प्रस्ताव जमा करें।
2	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन केवल लक्षित लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता का उपयोग करें
3	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लम्बी अवधि के लिए प्राप्त केंद्रीय सहायता को रोक कर न रखें और उचित समय के भीतर लक्षित लाभार्थियों को जारी करें।
4	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलनों/बैठकों में भाग लेने के लिए पर्याप्त जानकारी के साथ पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को तैनात करें ।
5	गैर-सरकारी संगठन और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां योजनाओं के दिशानिर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें ।
6	मंत्रालय द्वारा अनुरोध किये जाने पर, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य कार्यान्वयन मंत्रालयों को कार्यशाला और अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए
7	राज्य सरकारों सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित अवधि के भीतर और/या मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने के दौरान उनके द्वारा लागू की जा रही योजना/कार्यक्रम के नतीजे की रिपोर्ट करनी चाहिए
8	विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ नागरिकों/ग्राहकों का स्वागत है ।

*****